प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

17 जुलाई 2023

विनियामक रिपोर्टिंग - डेटा मदों की परिभाषा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 101 अतिरिक्त डेटा मदों की परिभाषाओं को शामिल करके विनियामक रिपोर्टिंग (वेबलिंक: https://rbi.org.in/hindi/scripts/DataDefinition.aspx) के लिए 'बैंकिंग सांख्यिकी- डेटा तत्वों की सामंजस्यपूर्ण परिभाषाएँ' संबंधी शब्दावली को अद्यतन किया। जब कभी विनियामक रिपोर्टिंग के लिए नए डेटा मद निर्धारित किए जाएंगे या किसी मौजूदा डेटा मद/ मदों के लिए स्पष्टीकरण/ संशोधन की आवश्यकता होगी तब इस शब्दावली को अद्यतन किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

2. जून 2022 की अपनी रिपोर्ट में, रिज़र्व बैंक के विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 (आरआरए 2.0) ने विनियामक रिपोर्टिंग संबंधी निर्देशों की व्यापक समीक्षा की और अनुपालन में आसानी, विनियामक बोझ को कम करने, रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने और विनियामक अनुदेशों के प्रसार और पहुंच में आसानी के लिए कई सिफारिशें कीं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर नवसृजित "विनियामक रिपोर्टिंग" लिंक पर डेटा मदों की परिभाषाओं वाली एकल अद्यतन मास्टर फाइल रखना शामिल था, जहां विनियामक रिपोर्टिंग और विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित समेकित सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

3. इससे पहले, रिज़र्व बैंक ने रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करने और इस तरह डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी अनुदेशों को पूरक करने के लिए 30 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एक तकनीकी मार्गदर्शी नोट जारी किया था। दिनांक 4 जनवरी 2018 के परिपत्र DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 के माध्यम से शब्दावली को 83 अतिरिक्त डेटा मदों की सामंजस्यपूर्ण परिभाषाओं के साथ अद्यतन किया गया था।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/609